राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

कमांकः–एफ.2(   )स्था/निकाशि/2021/1312   दिनांकः 15-02-2021

परिपत्र

राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारीगण के लम्बी अवधि के अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा धारित पद की कार्य व्यवस्था सुचारू नहीं रहने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, साथ ही कई पदों की प्रकृति शैक्षणिक/प्रशासनिक/वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उन्हें लम्बी अवधि तक रिक्त रखा जाना उचित नहीं होता है।

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) एवं RVRES के अन्तर्गत आने वाले शिक्षक, पुस्कालयाध्यक्ष एवं पीटीआई के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित किसी भी प्रकार के 02 माह से अधिक अवधि के अवकाश पर जाने की स्थिति में अधिकारीगण द्वारा अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी उपस्थिति आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे। अवकाश कालीन अधिकारियों द्वारा धारित पद को रिक्त मानते हुए उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

अतः समस्त प्राचार्यो को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) एवं RVRES के अन्तर्गत आने वाले शिक्षक, पुस्कालयाध्यक्ष एवं पीटीआई को राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित किसी भी प्रकार के अवकाश, जो 02 माह से अधिक अवधि के हो, यदि उनके द्वारा स्वीकृत किये जाते है तो ऐसे अधिकारी के स्वीकृत अवकाश आदेश की प्रति आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जावें कि वे अवकाश समाप्ति पर अपनी उपस्थिति पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे।

वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.1 (4)वित्त/नियम/2008 दिनांक 02.12.2020 के अनुसरण में उक्त परिपत्र जारी किया जाता है।

15/02

(संदेश नायक)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1– निजी सचिव–आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राज0, जयपुर।
2– समस्त संयुक्त निदेशक/शाखा प्रभारी, आयुक्तालय।
3– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/कन्या/विधि महाविद्यालय।
4– प्राचार्य, राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
5– प्राचार्य, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।
6– समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा।
7– वेब साइट प्रभारी, विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(बी. एल. गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त